उत्तर प्रदेश सरकार
गृह (पुलिस) अनुभाग-10
संख्या-1667/6-पु0-10-2011-1200(122)/78,
लखनऊः दिनांकः 25 जून, 2011

कार्यालय ज्ञाप

पुलिस अधिनियम. 1861 (अधिनियम सं0-5, सन् 1861) की धारा 2 के साथ पठित, धारा 46 की उपधारा (2) तथा संयुक्त प्रान्त प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी अधिनियम , 1948) की धारा 15 के अधीन शक्ति और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश पुलिस के कुशल खिलाड़ियों का उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमाण्डर, प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी, आरक्षी नागरिक पुलिस और आरक्षी प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी के रैंक पर चयन को विनियमित करने और उनकी भर्ती बिना पारी की पदोन्नति, प्रशिक्षण, वेतन, ज्येष्ठता निर्धारण तथा साथ ही साथ मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस/ प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी/ सशस्त्र पुलिस उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस), प्लाटून कमाण्डर , प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी, निरीक्षक नागरिक पुलिस और कम्पनी कमाण्डर प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी के पदों पर विनियमितीकरण और पदोन्नति हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-

उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस/ प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी में कुशल खिलाड़ियों की
भर्ती एवम् पदोन्नति प्रक्रिया नियमावली, 2011

भाग-एक-सामान्य

1- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस/ प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी में कुशल खिलाड़ियों की भर्ती एवम् पदोन्नति प्रक्रिया नियमावली, 2011 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2- राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये या जारी किये गये किसी नियमावली या आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी यह नियमावली प्रभावी होगी।

3- जब तक विषय अथवा सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली मेः-

(क) कुशल खिलाड़ियों का तात्पर्य ऐसे पुरूष/महिला खिलाड़ियों से है जिसने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक संघ द्वारा आयोजित खेलों में और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा आयोजित खेलों में भाग लिया हो ,

(ख) अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता का तात्पर्य ऐसी खेल सम्बन्धी घटनाओं/प्रतियोगिताओं से है, जो अखिल भारतीय पुलिस खेल नियन्त्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा आयोजित किये जाते हैं ,

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्यः-

(एक) निरीक्षक (नागरिक पुलिस), कम्पनी कमाण्डर (प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी), उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस), प्लाटून कमाण्डर (प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी) के पद के सम्बन्ध में पुलिस उपमहानिरीक्षक और

(दो) मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस/ सशस्त्र पुलिस/ प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी) और आरक्षी (नागरिक पुलिस/ सशस्त्र पुलिस/ प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी) के सम्बन्ध में यथास्थिति

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अथवा कमाण्डेन्ट (प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी) से है।

(घ) बोर्ड का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवम् पदोन्नति बोर्ड से है ,

(ङ) भारत का नागरिक का तात्पर्य संविधान के भाग-2 के अधीन किसी व्यक्ति के भारत का नागरिक होने अथवा समझे जाने से है।

(च) संविधान का तात्पर्य भारत का संविधान से है।

(छ) सरकार का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।

(ज) राज्यपाल का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(झ) विभागाध्यक्ष का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से है।

(ञ) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का तात्पर्य ऐसी किसी प्रतियोगिता से है जो ऐसे संघ द्वारा आयोजित की गयी हो जो अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति/संघ द्वारा सीनियर/जूनियर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए आयोजित किया गया है।

(ट) राष्ट्रीय प्रतियोगात का तात्पर्य खेल संघो या भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा आयोजित सीनियर/जूनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/स्पोर्ट्स संस्थाओं से है।

(ठ) चयन समिति का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा गठित समिति से है।

(ड) सेवा का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति के माध्यम से संवर्ग में किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति से है।

(ढ) खेल उपलब्धि का तात्पर्य किसी खिलाड़ी द्वारा सृजित प्रतिमानों अथवा उसके द्वारा अर्जित पदकों से है।

(ण) अधिष्ठायी नियुक्ति का तात्पर्य नियमावली के अनुसार और यदि नियमावली नही है तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यकारी निर्देशों के अनुसार तत्समय के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार सेवा के संवर्ग में किसी पद पर तदर्थ नियुक्ति से भिन्न की गयी किसी नियुक्ति से है।

(त) टीम का तात्पर्य खिलाड़ियों के ऐसे समूह से है जिनकी संख्या राष्ट्रीय /अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति /एसोशियेशन द्वारा राष्ट्रीय /अन्तर्राष्ट्रीय खेलों के लिए नियत की जाती है।

(थ) उत्तर प्रदेश पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड का तात्पर्य ऐसी इकाई से है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए विभिन्न खेल गतिविधियों को नियंत्रित और आयोजित करती है।

(द) भर्ती का वर्ष का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह महीने के अवधि से है।

भाग-दो संवर्ग

4- सेवा का संवर्ग- नियुक्ति के लिए वह पद, जिसके लिए किसी कुशल खिलाड़ी की भर्ती की गयी है, सेवा के संवर्ग में उस उसी पद के लिए नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

भाग-तीन भर्ती

5- भर्ती का श्रोत- उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस), प्लाटून कमाण्डर (प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी) आरक्षी (नागरिक पुलिस अथवा आरक्षी सशस्त्र पुलिस (प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी) के पदों में से प्रत्येक की दो प्रतिशत रिक्तियों पर भर्ती, जिसके लिए सीधी भर्ती अनुध्यात है, सीधी भर्ती द्वारा कुशल खिलाड़ियों में से की जायेगी।

परन्तु इस नियमावली के अधीन यदि विभाग का कोई पात्र अभ्यर्थी आरक्षी/मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस /सशस्त्र पुलिस/प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी के उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस) प्लाटून कमाण्डर (प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी) के पद पर चयनित हो जाता है, तब ऐसी दशा में उसे सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती किया गया समझा जायेगा।

6- **आरक्षण-**ऐसे अभ्यर्थियों, जो अपेक्षित अर्हता धारित करते है, का सेवा/संवर्ग में चयन वर्ष के लिए यथा अवधारित 02 प्रतिशत रिक्तियों के सापेक्ष किया जायेगा और इन पदों को समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार अलग से भरा जायेगा। आरक्षण क्षैतिज प्रकृति का होगा और रिक्तियों को कुल संख्या के आधार पर दिया जायेगा और इसे श्रेणीवार निर्बन्धित नहीं किया जायेगा और यदि नागरिकों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित कोई अभ्यर्थी चयनित हो जाता है तब उसे उसी श्रेणी के सापेक्ष माना जायेगा, जिससे कि वह सम्बन्धित है।

भाग-चार सीधी भर्ती के अर्हताएं

7- **राष्ट्रीयता-** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को होना चहिये

(क) भारत का नागरिक , अथवा

(ख) तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में स्थायीरूप से बसने के इरादे से भारत आया हो या

(ग) भारत में स्थायीरूप से बसने के इरादे से भारतीय मूल का कोई व्यक्ति पाकिस्तान, वर्मा, सीजान अथवा पूर्वी अफ्रीकी कोई देश कीनिया, युगाण्डा और संयुक्त गणराज्य तन्जालिया (पूर्व नामतंजानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो,

परन्तु उपरोक्त श्रेणी (ख) अथवा (ग) से सम्बन्धित कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित किसी अभ्यर्थी से पुलिस उपमहानिरीक्षक, आसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश द्वरा प्रदान किया गया पात्रार का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा भी की जायेगी।

परन्तु यह भी कि, यदि उपरोक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित कोई, अभ्यर्थी, एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में एक वर्ष से परे का प्रतिधारण उसकी भारतीय नागरिकता अर्जित करने के अधीन होगा।

टिप्पणीः-कोई अभयर्थी जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, लेकिन प्रमाण-पत्र न जारी किया गया हो, और वे ही जारी करने से इन्कार किया गया हो, उसे परीक्षा अथवा साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने या उसके पक्ष में प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के अधीन उसको औपबन्धिक रूप से नियुक्त किया जा सकता है।

8- भर्ती हेतु कुशल खिलाड़ियों के लिए अर्हता-

(i) कोई व्यक्ति जिसने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति द्वारा आयोजित / मान्यता प्राप्त अथवा राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा अयोजित /मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं /खेलों में भाग लिया हो, केवल कुशल खिलाड़ी के रूप में भर्ती किया जायेगा।

(ii) कोई व्यक्ति, जो रिक्तियों के विज्ञापन के दिनांक को निम्नलिखित अर्हताए धारित करता है, सीधी भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थी होगा-

(क) उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस) और प्लाटून कमाण्डर (प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलरी) के लिए अभ्यर्थी जो,

(एक) टीम प्रतियोगिताओं में सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिया या व्यक्तिगता खेल में चयनित किया गया हो, और किसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया हो, अथवा

(दो) किसी सीनियर राष्ट्रीय टूर्नामेण्ट/प्रतियोगिता के लिए राज्य/विभाग का प्रतिनिधित्व किया हो और किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण/रजत अथवा कान्स्य पदक जीता हो अथवा किसी टीम स्पर्धा में 02 वर्षो तक लगातार प्रतिनिधित्व किया हो।

(ख) आरक्षी (नागरिक पुलिस) और आरक्षी (प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलरी) के पद के लिए कोई अभ्यर्थी जिसने किसी सीनियर राष्ट्रीय टूर्नामेण्ट/प्रतियोगिता के लिए राज्य/विभाग का प्रतिनिधित्व किया हो और स्वर्ण/रजत/कान्स्य पदक जीता हो या किसी टीम स्पर्धा में 02 वर्षो तक लगातार प्रतिनिधित्व किया हो।

9- शैक्षिक अर्हताएं-

(क) उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस) और प्लाटून कमाण्डर (प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलरी) के पद के लिए अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट की परीक्षा अथवा उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(ख) आरक्षी (नागरिक पुलिस) /आरक्षी (प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलरी) के पद के लिए अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट एजूकेशन की हाइस्कूल की परीक्षा अथवा उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

10- आयु- सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को उस कैलेण्डर वर्ष में प्रथम जुलाई को जिसमें कि रिक्तियाँ विज्ञापित की जाती है, नीचे दी गयी सारणी में पद के सापेक्ष विनिर्दिष्ट न्यूनतम् आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और अधिकतम आयु से अधिक आयु नही पूरी करनी चाहिए,

क्र0सं0	पदनाम	न्यूनतम् आयु	अधिकतम आयु
1	उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस)	19	26
2	प्लाटून कमाण्डर (प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलरी)	19	26
3	आरक्षी (नागरिक पुलिस)	18	25
4	आरक्षी (प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलरी)	18	25

परन्तु अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों औप ऐसे वर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में, जो समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाये. ऊपरी आयु सीमा उतने वर्षो की संख्या तक अधिक होगी जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाय।

11. शारीरिक मानक- कुशल खिलाड़ियों के लिए किसी पद पर भर्ती के लिए शारीरिक मानक निम्नानुसार होगी।

(क) ऊचाई

पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यनतम ऊँचाई 168 सेन्टीमीटर अपेक्षित है और अनुसूचित जनजातियों के पुरूष अभ्यर्थियों के लिये यह 160 सेन्टीमीटर होगी, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊचाई 152 सेन्टीमीटर है और अनुसूचित जनजाति के महिला अभ्यर्थियों के लिए यह 147 सेन्टीमीटर होगी।

(ख) सीना (केवल पुरूष अभ्यर्थियों के लिए)

पुरूष अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाये सीना न्यूनतम 79 सेन्टीमीटर होना चाहिए । न्यूनतम् फुलाव 05 सेन्टीमीटर होना चाहिए, अर्थात फुलाव के पश्चात सीना 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम) होना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के पुरूष अभ्यर्थियों के लिये 77 सेन्टीमीटर अपेक्षिता है और 05 सेन्टीमीटर का फुलाव अपेक्षिता है, अर्थात फुलाव पर सीने का माप न्यूनतम 82 सेन्टीमीटर है।

12. चरित्र- सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस बिन्दु पर स्व्यं का समाधान कर लेंगे।

टिप्पणी- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सशस्त्र अथवा नियंत्रित किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे। नैतिक अधमता से सम्बन्धित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी अपात्र होगा।

13- वैवाहिक प्रस्थिति-

ऐसे पुरूष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं, अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसके पूर्व से ही एक जीवित पत्नी है, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगें।

14- शारीरिक/चिकित्सा परीक्षा-

(1) सेवा में किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि वह मानसिक व शारीरिक रूप से उपयुक्त न हो, और व कोई ऐसी शारीरिक अक्षमता से युक्त न हो जो उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन में विपरीत प्रभाव डाल सकें। सेवा के किसी पद पर किसी अभ्यर्थी को, जिसकी नियुक्ति की जानी है, औपचारिक नियुक्ति आदेशों से पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्थापित दिशा- निर्देश और प्रक्रिया के अनुसार भर्ती के लिए गठित चिकित्साधिकारी/बोर्ड द्वारा उपयुक्त पाया जाना आवश्यक होगा।

(2) सेवा में किसी पद पर किसी अभ्यर्थी कि नियुक्ति से पूर्व उसे चिकित्सा नियम संग्रह में निर्धारित चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया से गुजरना होगा , और चिकित्साधिकारी/बोर्ड द्वारा उसे सफल घोषित किया जाना आवश्यक होगा।

भाग-पाँच सीधी भर्ती के लिएक प्रक्रिया

15- रिक्तियों की अवधारणा-

(1) क्रमशः पदों से सम्बन्धित नियमावली के अधीन भरी जाने वाली रिक्तियों को भर्ती के वर्ष के दौरान अवधारण नियुक्ति प्राधिकारी करेगा और उन्हें विभागाध्यक्ष को सूचित करेगा। कुल रिक्तियों का 02 प्रतिशत उन कुशल खिलाड़ियों द्वारा अलग से भरी जायेंगी जो रिक्तियों के विज्ञापन के दिनांक को सभी अपेक्षाएं पूरी करते हों। रिक्तियों की संख्या की गणना पूर्णांक में की जायेगी और 1 से नीचे दशमलव की गणना नहीं की जायेगी।

(2) उपनियम (2) के अधीन प्रगणित रिक्तियों के बारे में विभागाध्यक्ष राज्य सरकार को सूचित करेगा और अग्रेतर कार्यवाही के लिए बोर्ड को भी अधिसूचित करेगा।

(3) यदि किसी दिये गये वर्ष में कोई उपयुक्त और अर्ह अभ्यर्थी भर्ती के लिए उपलब्ध नहीं है तो ऐसे पद और रिक्तियाँ अग्रेनीत नहीं की जायेंगी। तब ऐसी रिक्तियाँ सामान्य भर्ती प्रक्रिया द्वारा भरी ज सकेंगे।

16- विज्ञप्ति –

खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध रिक्तियों /पदों की संख्या की सूचना अभिप्राप्त करने के पश्चात बोर्ड किसी विशेष खेल में अपेक्षित निश्चित खिलाड़ियों की संख्या का अवधारणा करेगा । (उदाहरण के लिए हॉकी और फूटबॉल के लिए कितने फारवर्ड, डिफेण्डर्स, विंगर्स आदि हैं) । इसके पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड विभागाध्यक्ष से अनुमोदन लेगा और तब कुशल खिलाड़ियों की भर्ती के लिए खेल और निश्चित विशिष्टता को अधिसूचित करेगा और भर्ती के लिए नीचे यथा विनिर्दिष्ट अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया विज्ञापित करेगा।

(एक) व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करके।

(दो) कार्यालयों के नोटिस-बोर्ड पर सूचना प्रदर्शित करके अथवा रेडियो/दूरदर्शन तथा अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन करके।

(तीन) सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियों अधिसूचि करके।

17- चयन-समिति का गठन-

कुशल खिलाड़ियों के चयन के लिए बोर्ड द्वारा एक चयन समिति का गठना किया जायेगा। चयन- समिति खेलो विभिन्न विधाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के प्रख्यात खिलाड़ियों का विशेषज्ञ के रूप में सहयोग ले सकेगी।

टिप्पणी-चयन –समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन किये गये आदेशानुसार नामांकन किया जायेगा।

18- आवेदन-पत्र-

(1) अभ्यर्थी विहित प्रारूप में नियत दिनांक के भीतर बोर्ड को आवेदन करेगा।

(2) आवेदन-पत्र के साथ यथास्थिति आयु का सबूत हाई स्कूल परीक्षा, इण्टरमीडिएट परीक्षा, स्नातक उपाधि, परास्नातक उपाधि, खेल उपलब्धि प्रमाण-पत्रों और अन्य सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(3) अपेक्षित स्थना पर अभ्यर्थी के नवीनतम फोटोग्राफ की प्रमाणित प्रति चस्पा की जानी चाहिए।

(4) अभ्यर्थी को शपथ-पत्र पर शपथपूर्वक, सामान्य भर्ती के मामले में व्यक्तिगत सूचना की सत्यता और यथार्थता तथा आवेदन-पत्र के साथ संलग्न प्रमाणःपत्रों के बारे में परीक्षित होना चाहिए।

19- आवेदन-पत्रों की संवीक्षा-

बुलावा-पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व बोर्ड सभी आवेदन-पत्रों और उनके संलग्नकों अर्थात प्रमाण-पत्रों की विस्तृत संवीक्षा करेगा। यदि आवेदन-पत्र में उल्लिखित दस्तावेजों की कोई प्रमाणित प्रतियाँ आवेदन के साथ सम्बद्ध नही है तब ऐसे अपूर्ण अथवा अशुद्ध आवेदन-पत्र बोर्ड द्वारा निरस्त किये जा सकेंगे।

20- बुलावा-पत्र-

उन अभ्यर्थियों/आवेदकों को जिनके आवेदन पत्र संवीक्षा के दौरान शुद्ध पाये गये थे, बुलावा-पत्र निर्गत किये जायेंगे और अपेक्षा की जायेगी कि वे चयन समिति के समक्ष विनिर्दिष्ट दिनांक/समय और स्थान पर अपनी खेल कुशलता औरशारीरिक मानक/दक्षता का प्रदर्शन करें। अभ्यर्थियों आवेदकों से सत्यापन के लिए अपनी आयु, शिक्षा और खेल उपलब्धियों से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेज मूलरूप में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। पश्चातवर्ती प्रक्रम पर बुलावा पत्र जारी किया जाना नियुक्ति के लिए कोई अधिकार परिकल्पित नहीं करता है।

21- प्रमाण-पत्र, खेल और शारीरिक दक्षता परीक्षण-

(1) ऐसे सभी आवेदक जिनके आवेदन-पत्र संवीक्षा के प्रक्रम पर शुद्ध पाये गये थे, और जिन्हें बोर्ड द्वारा चयन समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलावा-पत्र निर्गत किये गये थे, गहनता से परीक्षण किये जायेंगे और उनकी खेल सम्बन्धी कुशलता तथा शारीरिक दक्षता का भी परीक्षण किया जायेगा।

(2) मूल दस्तावेज चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने होंगे। मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल होने अथवा किसी दस्तावेज के अशुद्ध /त्रुटिपूर्ण पाये जाने की दशा में आवेदन-पत्र सारांशतः अस्वीकृत किया जा सकेगा और अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से हटाया जा सकता है।

22- प्रमाण-पत्रों का सत्यापन-

नियुक्ति के लिए औपचारिक संस्तुति से पूर्व बोर्ड/चयन समिति का सचिव खेल प्रमाण-पत्रों/शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों का उन्हे निर्गत करने वाले निकायों अर्थात खेल संख/शिक्षा परिषदों से सत्यापित करेगा। यदि कोई प्रमाण-पत्र अशुद्ध पाया जाता है, तब आवेदक का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

23. चरित्र सत्यापन और नियुक्ति-

(1) नियम 21 के अनुसार उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड विभागाध्यक्ष को अग्रसारित करेगा, जो अपने स्पष्ट अनुमोदन के साथ इसे खेल कोटे के अधीन नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

(2) नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए चरित्र सत्यापन की स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। अभ्यर्थी की चरित्र के बारे में यदि कोई ऐसा प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है जो सरकारी पद धारित के लिए उसकी पात्रता को शून्य करता है, तब ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन अस्वीकार किये जाने योग्य है। ऐसे मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष को सूचित करेगा।

(3) उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस) के लिए नियुक्ति पत्र उपमहानिरीक्षक (स्थापना) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा जारी किये जायेंगे और प्लाटून कमाण्डर (प्रादेशिक सशस्त्र कान्सटेबुलरी) के लिए नियुक्ति पत्र उपमहानिरीक्षक, प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलरी मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी किये जायेंगे।

(4) आरक्षी (नागरिक पूलिस)/ (प्रादेशिक सशस्त्र कान्सटेबुलरी) के लिए नियुक्ति पत्र जिले के सम्बन्धित बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक और सम्बन्धित प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी बटालियन के कमाण्डेन्ट द्वारा जारी किये जायेंगे।

(5) नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने के तीन महिले के भीतर चयनित कुशल खिलाड़ियों से अपनी तैनाती पर विभाग में अपनी सेवा ग्रहण करने की अपेक्षा की जाती है। जिसमें असफल रहने पर उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव निरस्त किया जा सकता है।

भाग-छः प्रशिक्षण, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता निर्धारण

24. प्रशिक्षण-

(1) उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस)/ प्लाटून कमाण्डर (प्रादेशिक सशस्त्र कान्सटेबुलरी)/ आरक्षी (नागरिक पूलिस)/ (प्रादेशिक सशस्त्र कान्सटेबुलरी के पदों पर इस नियमावली के अधीन भर्ती कुशल खिलाड़ियों को 14 सप्ताह के प्रारम्भिक प्रशिक्षण से गुजरना होगा।

(2) इस प्रशिक्षण के दौरान ऐसे कुशल खिलाड़ियों का अखिल भारतीय पुलिस खेल/राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय खेलो में भाग लेने की छूट प्रापित होगी। ऐसे मामलो में जिसे अलग से अपेक्षित प्रारम्भिक प्रशिक्षण पूर्ण करना होगा।

(3) प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन खेल विधाओं के बारे में विशिष्ठीकृत संव्यवहार सत्र होंगे जिनके लिए व चयनित किये गये है। यह विशिष्टीकृत निविष्टी 14 सप्ताह के प्रारम्भिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनिवार्यतः भाग होगा।

(4) पुलिस कर्मियों के रूप में भर्ती कुशल खिलाड़ी के पद के लिए उस दिनांक / समय से विहित आज्ञापक आधारभूत पाठ्यक्रम से गुजरना होगा जैसा कि सचिव उत्तर प्रदेश पुलिस खेल नियंत्रण बोड द्वारा निर्देशित किया जाय।

25. परिवीक्षा-

इस नियमावली के अधीन नियुक्त सभी कुशल खिलाड़ी सम्बन्धित सेवा नियुमावली के उपबन्धों के अनुसार परिवीक्षा पर रखे जायेंगे।

26. स्थायीकरण

कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति अपनी नियुक्ति पर परिवीक्षा अवधि अथवा बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी कर दिया जायेगा, यदिः-

(क) उसने सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है।

(ख) उसका कार्य और आचरण संन्तोषजनक पाया गया है और

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी गयी हो।

27- ज्येष्ठता

(1) इस नियमावली के अधीन नियुक्त व्यक्ति की पारस्परिक ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(2) इस नियमावली के अधीन नियुक्त व्यक्ति किसी विशिष्ट भर्ती वर्ष में सम्बन्धित नियमावली के अधीन नियुक्त व्यक्त से, जिसमें कि इस नियमावली के अधीन कुशल खिलाड़ियों के लिए 02 प्रतिशत रिक्तियाँ भरी गयी है. नीचे रखा जायेगा।

भाग-सात-वेतन, इत्यादि

28- वेतन

विभाग में मौलिक पद/ सेवा के प्रचलित वेतन संरचना के अनुसार कुशल खिलाड़ियों को वही वेतन और भत्ते अनुमन्य होंगे जिसके सापेक्ष उनकी नियुक्ति की गयी है।

भाग-आठ-कुशल खिलाड़ियों की बिना पारी पदोन्नति

29- पदोन्नति के लिए पात्रता-

(1) इस नियमावली में विहित अर्हताओं के अनुसार ऐसे कुशल खिलाड़ी जो अपेक्षित अर्हताए रखते हैं और उनके खेले में उत्कृष्ट निष्पादन के आधार पर बिना पारी की पदोन्नति के आधार पर प्रत्येक सम्बन्धित संवर्ग/ पद से सम्बन्धित सेवा नियमावली में विहित मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, सशस्क्ष पुलिस, प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलरी), उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस) प्लाटून कमाण्डर (प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलरी), निरीक्षक (नागरिक पुलिस) कम्पनी कमाण्डर (प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलरी) के पद पर प्रोन्नति किये जा सकते हैं।

(2) इस नियमावली के अधीन अपेक्षित मानक पूरा करने पर बिना पारी की पदोन्नति एक अधिकार विषयक मामला नहीं होगा। यह पदोन्नति विभाग की आवश्यकताओं और प्रत्येक अलग कुशल खिलाड़ी की व्यक्तिगत स्पर्धा पर आधारित होगा।

(3) किसी कुशल खिलाड़ी को दी गयी इस प्रकार बिना पारी पदोन्नति उदाहरण कि रूप में उधृत नही की जा सकेगी . और यह किसी अनिय खिलाड़ी को बिना पारी की पदोन्नति का कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा।

(4) उत्कृष्ट खेल निष्पादन के आधार पर बिना पारी की पदोन्नति प्रदान करते समय दण्ड , सत्यनिष्ठा, विभागीय/ विधिक कार्यवाहियों के मामले संज्ञान में लिये जायेंगे और उनके मानको को इस प्रकार अनुसंज्ञान में लिया जायेगा जो विभाग में साधारणतया ऐसे रैंक में पदोन्नति के दौरान देखे जाते हैं।

30- पदोन्नति के लिए रिक्तियों का निर्धारण-

इस नियमावली के अनुसार बिना पारी की पदोन्नति के लिए निर्धारित प्रक्रिया हेतु ऐसे व्यक्तियों जो इस अवसर क उपयोग करते है, के पदों पर समायोजन भर्ती के उस वर्ष में होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष किया जायेगा।

31- कुशल खिलाड़ियों की पदोन्नति के लिए अर्हताएं-

मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस/सशस्त्र पुलिस/ प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलरी के पद पर बिना पारी की पदोन्नति के लिए निम्नलिखित मापदण्ड अपनाये जायेंगे-

(क) उत्तर प्रदेश राज्य टीम या भारतीय पुलिस टीम के लिए चयन किये जाने के पश्चात कुशल खिलाड़ी भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय प्रतियोगिता/राष्ट्रीय खेलों में या तो टीम खेलों में या व्यक्तिगत स्पर्द्धा में सम्मिलित हुए हों और स्वर्ण या रजत या कान्स्य पदक अर्जित किये हों।

(ख) उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस) औप प्लाटून कमाण्डर (प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलरी के लिए निम्नलिखित में से किसी एक मापदण्ड को अपनाया जायेगा।

(एक) भारतीय टीम में चयन किये जाने के पश्चात कुशल खिलाड़ी किसी अन्तराष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में ऐसे किसी टीम या व्यक्तिगत स्पर्द्धा में सम्मिलित हुए हों जो अन्तर्राष्ट्रीय या कान्स्य पदक अर्जित किये हों।

(दो) उत्तर प्रदेश राज्य टीम या भारतीय टीम के लिए चयन किये जाने के पश्चात कुशल खिलाड़ी भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय प्रतियोगिता/राष्ट्रीय खेलो में या तो टीम खेलो या व्यक्तिगत स्पर्द्धा में सम्मिलित हुए हों और स्वर्ण या रजत या कान्स्य पदक अर्जित किये हों।

(ग) निरीक्षक (नागरिक पुलिस) और कम्पनी कमाण्डर, प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलरी के लिए निम्नलिखित में से किसी एक मापदण्ड को अपनाया जायेगाः-

(एक) वह खेलों में देश का उच्चतम उत्कृष्ट पुरस्कार (अर्जुन पुरस्कार) अर्जित किया हो/की हो।

(दो) भारतीय टीम में चयन किये जाने के पश्चात वह विश्व चौम्पियनशिप में ऐसे किसी टीम या व्यक्तिगत स्पर्द्धा में सम्मिलित हुआ हो/हुई हो, जो अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हों, और स्वर्ण या रजत या कान्स्य पदक अर्जित किया हों/की हो, या प्रथम आठ में स्थान अर्जित किया हो/की हो।

(तीन) भारतीय टीम में चयन किये जाने के पश्चात वह ऐसे ओलम्पिक खेलों में सम्मिलित हुआ हो, हुई हों, जो अन्तराष्ट्रींय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो और स्वर्ण या रजत या कान्स्य पदक अर्जित किया हो/की हो या प्रथम आठ में स्थान अर्जित किया हो/की हो।

(चार) भारतीय टीम में चयन किये जाने के पश्चात वह ऐसे एशियन खेलों में सम्मिलित हुआ हो/हुई हो, जो अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो और स्वर्ण या रजत या कान्स्य पदक अर्जित किया हो/की हो।

(पाँच) भारतीय टीम में चयन किये जाने के पश्चात वह ऐसे कॉमनवेल्थ खेलों में या तो टीम या व्यक्तिगत स्पर्द्धा में सम्मिलित हुआ हो/हुई हो, जो अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो और स्वर्ण या रजत या कान्स्य पदक अर्जित किया हो/की हो।

(छः) भारतीय टीम में चयन किये जाने के पश्चाता वह ऐसे ऐशियन चैम्पियनशिप में सम्मिलिति हुआ हो/हुई हों, जो अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो और स्वर्ण या रजत या कान्स्य पदक अर्जित किया हो/की हो।

(सात) उत्तर प्रदेश राज्य टीम या भारतीय पुलिस टीम के लिए चयन किये जाने के पश्चात वह भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय प्रतियोगिता/राष्ट्रीय खेलों में या तो टीम खेलों में या व्यक्तिगत स्पर्द्धा में सम्मिलित हुआ हो/हुइ हो और चार पदक अर्जित किया/की हो, जिनमें से कम से कम दो पदक स्वर्ण पदक हो।

(आठ) ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वह चार पदक अर्जित किया/की हो, जिनमें से कम से कम दो पदक स्वर्ण पदक हो।

32- पदोन्नति के लिए चयन समिति-

कुशल खिलाड़ियों के लिये बिना पारी की पदोन्नति के समस्त मामलों का परीक्षण बोर्ड द्वारा किया जायेगा। विना पारी की पदोन्नतियाँ प्रदान करने के लिए ऐसी चयन समिति की बैठक का आयोजन वर्ष में दो बार फरवरी और अगस्त माह में किया जायेगा, जो फरवरी और अगस्त माह की समाप्ति तक अपनी संस्तुतियाँ पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करेगी।

33- पदोन्नति की प्रक्रिया-

(1) किसी आसीन कुशल खिलाड़ी जो नियम 31 के अधीन मापदण्ड को पूरा करता हो और जो नियमा 32 के अधीन चयन समिति द्वारा पदोन्नति के लिए संस्तुत किया गया हो के लिए सचिव. उत्तर प्रदेश पुलिस खेल नियन्त्रण बोर्ड, कुशल खिलाड़ियों की संपूर्ण खेल क्रियाकलापों/उपलब्धियों सहित विद्यमान रैंक से एक रैंक उच्चतर रैंक में बिना पारी के पदोन्नति का प्रस्ताव बोर्ड को अग्रसारित करेगा।

(2) चयन समिति की संसुतियों के आधार पर विभागाध्यक्ष का सपष्ट अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अराजपत्रित कर्मचारी की पदोन्नति /नियुक्ति सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विद्यमान रिक्तियों के सापेक्ष नियम 30 के अधीन की जायेगी।

(3) इस नियमावली के अधीन की गयी समस्त पदोन्नतियाँ पदभार ग्रहण करने के दिनांक से लागू होंगी।

भाग-नौ-बिना पारी की पदोन्नति, खिलाड़ियों का प्रशिक्षण और उनकी ज्येष्ठता

34- प्रशिक्षण-

(1) कुशल खिलाड़ियों को बिना पारी की पदोन्नति प्रदान किये जाने पर उन्हें उस रैंक, जिस पर इनकी पदोन्नति की गयी हो, के लिए विहित अनिवार्य मौलिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलता पूर्वक पूर्ण करना होगा।

(2) सामान्यतः अगलो उच्चतर रैंक पर पदोन्नति के लिए कोई खिलाड़ी केवल तभी पात्र होग जब वह उस रैंक के लिए विहित निर्धारित मौलिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलता पूर्वक पूर्ण कर लिया हो और वह ऐसी पदोन्नति के लिए समस्त अर्हताओं को भी पूर्ण करता हो।

35- ज्येष्ठता-

(1) बिना पारी की पदोन्नति के आधार पर नियुक्त व्यक्ति की पारस्परिक ज्येष्ठता का अवधारणा समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार किया जायेगा।

(2) बिना पारी की पदोन्नति के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को उस वर्ष में सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा। यदि किसी वर्ष में सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन कोई पदोन्नति न की गयी हो तो उस वर्ष में बिना पारी की पदोन्नति के आधार पर इस नियमावली के अधीन पदोन्नत व्यक्तियों की उस वर्ष के लिए संगत सेवा नियमावली के अधीन पदोन्नत व्यक्तियों को उस वर्ष के लिये संगत सेवा नियमावली के अधीन अनुवर्ती रूप से पदोन्नत व्यक्तियों से नीचे रखा जायेगा।

भाग-दस-अन्य उपबन्ध

36- अन्य उपबन्ध प्रकीर्ण-

(1) ऐसी विषयवस्तुए, जो इस नियमावली या अन्य सुसंगत आदेश द्वारा सुस्पष्ट रूप से आच्छादित न हो, ऐसी नियमावली, उपबन्ध और आदेश द्वारा नियंत्रित होगी जो सामान्यतः राज्य के अन्य सेवारत कर्मचारियों के लिए उनके संचालन हेतु लागू हों।

(2) इस नियमावली में किये गये उपबन्धों के विपरीत सरकारी आदेश के समस्त विद्यमान उपबन्ध इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक से अस्तित्वहीन हो जायेंगे।

(3) समय-समय पर निर्गत सरकारी आदेशों के अनुपालन में ऐसे व्यक्तियों, जो अपनी खेल उपलब्धियों के आधार पर पदोन्नति प्राप्त किये हों, को पदोन्नति के दिनांक से उनके संवर्ग में पदोन्नत किया हुआ समझा जायेगा।

(4) इस नियमावली में किसी बात का प्रभाव अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समय-समय पर इस सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों के अनुसार अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्धित किया जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण और छूट पर नहीं पड़ेगा।

37- सेवा शर्तों में शिथिलता-

जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि सेना में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों से सम्बन्धित किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई उत्पन्न होती है तो वह उक्त मामलों में लागू नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं में अभिमुक्ति यह शिथिलता इस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्याधीन प्रदान कर सकती है जैसा कि वह न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से मामले को व्यवहृत करने के लिए आवश्यक समझे, परन्तु जहाँ कोई नियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहाँ उक्त निकाय से नियम की अपेक्षाओं में अभिमुक्ति या शिथिलता प्रदान करने के पूर्व परामर्श लिया जायेगा।

38- विस्तार/प्रयोज्यता-

इस नियमावली के अधीन कृत्य किसी भर्ती या पदोन्नति को समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी और मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2008 समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली,2008 समय-समय पर यथोसंशोधित उत्तर प्रदेश प्रान्तीय सशस्त्र कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2008 के अधीन की गयी समझी जायेगी।

39- किसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों की आयु और अन्य सेवा शर्तों में शिथिलता-

सरकार विशेष परिस्थितियों में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश और अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पुलिस खेल नियन्त्रण बोर्ड की संस्तुतियों के आधार पर ऐसे खिलाड़ियों की आयु और ऊँचाई की शर्तों में शिथिलता प्रदान कर सकती है जो अन्तर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में स्वर्ण , रजत या कान्स्य पदक जीता हो।

कुंवर फतेह बहादुर
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक, तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना) उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. पुलिस उपमहानिरीक्षक (स्थापना) पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद
4. कार्मिक अनुभाग-1/2
5. भाषा अनुभाग-5
6. विधायी अनुभाग-1
7. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक।

आज्ञा से,
(आर0पी0 मिश्र)
विशेष सचिव।